HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11139/2026
CNR: RJHC020664032026 | URN: CRLMB / 20608U / 2026

Tejpal Gurjar S/o Surgyan Gurjar, Aged About 27 Years, R/o Sitarampura, Pahadiya, Jaipur

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Amitabh Vijaywargia
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakad, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

09/09/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना सांगानेर, जिला–जयपुर शहर (पूर्व) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–115/2026 अपराध अंतर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त का इस अपराध से कोई लेनादेना नहीं है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त अपराध के समय मौके पर मौजूद भी नहीं था। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। उनका तर्क है कि प्रकरण में संलिप्त अन्य सहअभियुक्तगण सुरेश कुमार बैरवा, सांवर मल गुर्जर व राजेश कुमार मीणा को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। उनका तर्क है कि इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 29.07.2026 की पालना में प्रार्थी ने अनुसंधान में भाग ले लिया है और अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रार्थी से अनुसंधान भी कर लिया गया है तथा प्रार्थी की अभिरक्षात्मक पूछताछ (Custodial Investigation) के

लिए कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पूर्व में पारित अंतरिम स्थगन आदेश को पुष्ट करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य लोक अभियोजक का भी यही तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त ने इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश की पालना में अनुसंधान में भाग ले लिया है। प्रार्थी की अभिरक्षात्मक पूछताछ (Custodial Investigation) की आवश्यकता दर्शित नहीं है।

हमने तर्क–वितर्क पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। पूर्व में पारित आदेश दिनांक 29.07.2026 की पालना में प्रार्थी द्वारा अनुसंधान में भाग ले लिया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त का मौके पर मौजूद होना नहीं बताया गया है। प्रकरण में संलिप्त अन्य सहअभियुक्तगण सुरेश कुमार बैरवा, सांवर मल गुर्जर व राजेश कुमार मीणा को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी से अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका है तथा विद्वान लोक अभियोजक ने भी प्रकट किया कि प्रार्थी की अभिरक्षात्मक पूछताछ (Custodial Interrogation) के लिए कोई आवश्यकता नहीं बताई गई है और प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया है कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अन्वेषण में सहयोग करने के लिए प्रार्थी हमेशा तत्पर रहेगा। अतः तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस मामले में प्रार्थी को गिरफ्तार किये जाने की सूरत में यदि प्रार्थी उनके संतोषप्रद एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये राशि की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर आजाद कर दिया जाए :

1. कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जानेवाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।

2. कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षः अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।

3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

(SHUBHA MEHTA),J

57/NIMIT GOYAL